"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20 1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2006—श्रावण 6, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6-6-2006 द्वारा श्री एस. आर. ब्राम्हाणे, भा.प्र.से. (2000), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पदस्थ किया गया था एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक ई 1-2/2006/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर, उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम जहां अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किये गये
1.	सुश्री अलरमेलमंगई डी.	अनुविभागीय अधिकारी, जगदलपुर
2.	श्री अमित कटारिया	अनुविभागीय अधिकारी, कवर्धा
3.	श्री प्रसन्ना आर.	अनुविभागीय अधिकारी, सरगुजा (अंबिकापुर)
4.	सुश्री संगीता पी.	अनुविभागीय अधिकारी, मुंगेली (बिलासपुर)
5.	श्री अंबालगन पी.	अनुविभागीय अधिकारी, दंतेवाड़ा

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.— श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, भा. प्र. से. (2000) अपर कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. सुश्री रीना बाबासाहेब कंगाले, भा. प्र. से. (2003), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 10-07-2006 से 14-07-2006 (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8, 9, 15 एवं 16 जुलाई, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2006

क्रमांक 664/569/2006/1-8/स्था.— श्री एन. के. भट्टर (रा. प्र. से.), रजिस्ट्रार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 21-06-2006 से 07-07-2006 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भट्टर को पुनः रजिस्ट्रार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री भट्टर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. इनके अवकाश अवधि में श्री के. के. बाजपेयी, अवर सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री भट्टर का कार्य भी करेंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री भट्टर अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2006

क्रमांक 668/529/2006/1-8/स्था.— इस विभाग के आदेश क्रमांक 378-79/211/2005/1-8/स्था., दिनांक 15 मई, 2006 द्वारा श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 8-5-2006 से 12-5-2006 तक 05 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13-5-2006 से 16-5-2006 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शर्तें आदेश दिनांक 15 मई, 2006 के अनुसार यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2006

फा. क्रमांक 9955/21-अ/स्था/छ. ग./2006.— राज्य शासन, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी के वर्ष 2007 में अर्द्धवार्षिक आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्रमांक	अनुभाग अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1.	श्री एच. एल. शर्मा	28-03-1947	31-03-2007

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक एफ-2/33/2006.— राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए रायपुर में एक होटल प्रबंध खानपान तकनीकी एवं पोषण आहार संस्थान का गठन करते हुए निम्नानुसार शासी निकाय मनोनीत करता है-

1. पर्यटन मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन - अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, पर्यटन, छत्तीसगढ़ शासन - सदस्य
3. सचिव, वित्त, छत्तीसगढ़ शासन - सदस्य
4. सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, छत्तीसगढ़ शासन - सदस्य
5. अपर महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य
6. वित्तीय नियंत्रक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य
7. श्री राधेबाबू शारदा, शारदा होटल रायपुर (होटल उद्योग) - सदस्य
8. श्री मनोहर लूनिया, होटल आकांक्षा, जगदलपुर (होटल उद्योग) - सदस्य
9. श्री किशन व्यास, सदर बाजार, रायपुर (कैटरिंग विशेषज्ञ) - सदस्य
10. प्राचार्य, होटल प्रबंध खानपान तकनीकी एवं पोषण आहार संस्थान, रायपुर - सदस्य
11. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर - सदस्य सचिव

2. इसकी बैठक वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

विषय :- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-2 में संशोधन..

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2006

क्रमांक 223/सी-6950/वित्त/नियम/चार/2006.— वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-2 में विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से संबंधित वर्तमान प्रत्यायोजनों में से अनुक्रमांक 8 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

FINANCIAL POWER IN RESPECT OF CHIEF ELECTORAL OFFICER

S. No.	Description	Authority Competent to Exercise Power	Extent of Delegation	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Power to sanction expenditure on purchase of Stationary for preparation of Identity Cards for Voters.	Collector	Full Power	Subject to rates and terms fixed by the Government.

2. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगा.

विषय :- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-2 में संशोधन.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2006

क्रमांक 227/सी-7309/वित्त/नियम/चार/2006.— वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-2 में खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालक, खेल एवं युवक कल्याण से संबंधित वर्तमान प्रत्यायोजनों में अनुक्रमांक 4 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाता है:—

FINANCIAL POWER IN RESPECT OF THE DIRECTORATE OF SPORTS AND YOUTH WELFARE

S. No.	Description	Authority Competent to Exercise Power	Extent of Delegation	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	To sanction Expenditure/grant-in-aid on seminar, workshops, competitions, cultural programme, sports meets and Training etc.	1- Head of Department 2- District Officer	Full Powers Up to Rs. 20,000.	Subject to rules framed by the Government in this behalf.

2. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक-1419/126/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप भाग (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-1109/126/32/2006 दिनांक 27-5-2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जवाहर बाजार स्थित नजूल शीट क्र.- 93.	प्लाट क्रमांक- 11/1, 11/3 12 एवं 14.	84750 वर्गफुट में से 72000 वर्गफुट.	पार्किंग	वाहन पार्किंग सह वाणिज्यिक परिसर

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2006

क्रमांक-1417/F 4-8/32/06.—राज्य सरकार एतद्द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्र.-6) की धारा 4 (2) (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री एस. एस. बजाज, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर को, आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के रूप में नियुक्त करता है.

श्री अनिल कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता पर्यावरण संरक्षण मंडल को सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के प्रभार से मुक्त कर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, अवर सचिव.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

विषय :—खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में संशोधन एवं परिवर्तन.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2006

क्रमांक/एफ 10-3/2003/9.—खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा क्रमांक 10-3/03/9, दिनांक 19 सितम्बर 2003 के द्वारा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 जारी किए गए हैं. उक्त नियमों में समसंख्यक क्रमांक से निम्नानुसार संशोधन एवं परिवर्धन किया जाता है.

1. उक्त नियमों में जहां कहीं भी स्वर्गीय हनुमान सिंह पुरस्कार वाक्यांश आया है उसे वीर हनुमान सिंह पुरस्कार पढ़ा जाए.
2. उपकंडिका 2.2 में "खेल एवं युवा कल्याण विभाग" वाक्यांश विलोपित.
3. उपकंडिका 6.1 (अ) विलोपित.
4. उपकंडिका 6.1 (ब) 2 को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए.

2. उसने पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व किया हो.

5. उपकंडिका 6.2 (अ) विलोपित.

6. उपकंडिका 6.3 (अ) विलोपित.

7. उपकंडिका 6.3 (ब) 7 के उल्लेख के आगे निम्नांकित पढ़ा जाए.

यह कंडिका उन प्रशिक्षकों पर लागू नहीं होगी जिन प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा भारतीय दल का प्रशिक्षक नियुक्त/मनोनीत किया गया हो तथा प्रशिक्षक द्वारा भारतीय दल को प्रशिक्षित करने के पश्चात् संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय दल के साथ भाग लिया हो.

8. उपकंडिका 6.3 (स) 1 विलोपित.

9. उपकंडिका "6.3 (स) 2-या" को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए.

या

उसमें आयोजन समिति या संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा निर्णयन कार्य हेतु आमंत्रित किए जाने पर विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में निर्णयन कार्य सम्पन्न किया हो.

10. कंडिका 13 में एक अतिरिक्त उपकंडिका "13.3" निम्नानुसार स्थापित की जाए.

13.3 इन पुरस्कारों के लिए वही खिलाड़ी, प्रशिक्षक, निर्णायक पात्र माने जाएंगे जो कंडिका 6 में उल्लेखित पात्रता को पूर्ण करते हुए निम्नांकित शर्तों की पूर्ति करते हों :—

(अ) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है.

या

(ब) उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत है.

या

(स) उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय/अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है.

11. कंडिका 14 को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए.

व्याख्या/संशोधन :—

14.1 इन नियमों में अंतरनिहित प्रावधानों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई व्याख्या अंतिम मानी जाएगी.

14.2 विभाग इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन/शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

विषय :—विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत उपसंभागीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर राजनांदगांव में नवीन उपसंभागीय कार्यालय खोलने बाबत.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक एफ 10-4/2005/13-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षकालय छ.ग. के अंतर्गत राजनांदगांव में नवीन उपसंभागीय कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. राजनांदगांव उपसंभाग के अंतर्गत कवर्धा एवं राजनांदगांव जिले होंगे. जिसका मुख्यालय राजनांदगांव होगा.

3. उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. जावक क्रमांक 1287/बजट-5/वित्त/चार, दिनांक 29-11-2005 द्वारा प्रदान की गई है.

विषय :—विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत उपसंभागीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर राजनांदगांव में नवीन उपसंभागीय कार्यालय हेतु पद निर्माण की स्वीकृति बाबत.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक एफ 10-4/2005/13-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14-7-2006 द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षकालय छ.ग. के अंतर्गत राजनांदगांव में नवीन उपसंभागीय कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप राजनांदगांव में नवीन उपसंभागीय कार्यालय की स्थापना हेतु निम्नानुसार पद निर्माण (आवर्ती व्यय) की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान
1.	सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	01	रु. 8000-10500
2.	उपअभियंता	02	रु. 5000-8000
3.	सहायक ग्रेड-2	01	रु. 4000-6000
4.	सहायक ग्रेड-3	02	रु. 3050-4590
5.	विद्युतकार	01	रु. 3050-4590
6.	जांच अनुचर	01	रु. 2750-3800
7.	भृत्य	01	रु. 2610-3540
8.	चौकीदार	01	कलेक्टर दर पर
9.	स्वीपर	01	कलेक्टर दर पर
	योग पद संख्या	11	

2. उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. जावक क्रमांक 565/सीएम/1611/बजट-5/वित्त/चार, दिनांक 7-7-2006 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2006

क्रमांक 198/अ.मु.स./सू.प्रौ./जै.प्रौ./2006/चॉईस.—छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम, 2003 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित सेवाएं एतद्द्वारा अधिसूचित नागरिक सेवाएं घोषित की जाती हैं :—

1. बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र मुद्रण
2. बी.पी.एल. डाटा एन्ट्री (डाटा संग्रहण)
3. नजूल भूमि के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना
4. जन शिकायत निवारण (नगर निगम रायपुर)
5. जन शिकायत निवारण (कलेक्टोरेट)
6. राशन कार्ड जारी करना
7. राशन कार्ड प्रतिलिपि
8. राशन कार्ड का समर्पण
9. राशन कार्ड में परिवर्तन/सुधार करना
10. विस्फोटक पदार्थ भंडारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन
11. केरोसिन भण्डारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन
12. पेट्रोल, डीजल भंडारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन
13. खतरनाक उद्योग लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना
14. विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना
15. नजूल भूमि के पट्टे के लिये पुराना डाटा संग्रहण
16. नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण
17. नजूल भूमि के पट्टे का नामान्तरण
18. नगर निगम रायपुर के दुकानों का आवंटन
19. नगर निगम रायपुर के आवंटित दुकानों का नवीनीकरण
20. नगर निगम रायपुर के आवंटित दुकान का अधिपत्य हस्तान्तरण
21. नया नल कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र
22. नई आयुध अनुज्ञप्ति
23. आयुध अनुज्ञप्ति नवीनीकरण
24. गुमास्ता लाईसेन्स
25. गुमास्ता लाईसेन्स का नवीनीकरण
26. दस्तावेज नकल प्राप्त करना
27. बकाया नहीं प्रमाण पत्र (रायपुर विकास प्राधिकरण)
28. सम्पत्ति कर प्राप्त करना
29. सम्पत्ति नामांतरण
30. गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी
31. अज्ञात शव की जानकारी
32. अज्ञात वाहन की जानकारी
33. प्रथम सूचना रिपोर्ट
34. चॉईस एजेंट का पंजीयन
35. ई-पेमेंट सेवा-विद्युत बिल भुगतान
36. ई-पेमेंट सेवा-टेलीफोन बिल भुगतान

37. गुमास्ता लाईसेन्स निरस्त करना
38. डुप्लीकेट गुमास्ता लाईसेन्स जारी करना
39. गुमास्ता लाईसेन्स में परिवर्तन
40. भवन निर्माण की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना
41. भवन एवं सम्पत्ति हेतु नामांतरण प्रमाण-पत्र
42. नया भवन निर्माण अनुज्ञा
43. भवन निर्माण अनुज्ञा का विस्तार
44. भवन निर्माण अनुज्ञा में सुधार
45. भवन निर्माण आरंभ करने की सूचना संबंधी आवेदन
46. भवन में निवास करने संबंधी सूचना संबंधी आवेदन
47. भवन निर्माण के समय-सीमा में वृद्धि हेतु आवेदन पत्र
48. भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रतिलिपि
49. भूमि विकास की अनुमति
50. राज्य बीमारी सहायता निधि
51. निःशुल्क राहत
52. आकस्मिकता योजना
53. अंतर्जातीय विवाह
54. राहत योजना
55. इंदिरा आवास योजना
56. प्रधानमंत्री रोजगार योजना
57. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
58. ग्रामीण आवास हेतु कर में छूट
59. बालिका समृद्धि योजना
60. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना
61. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
62. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
63. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
64. नलकार का पंजीयन
65. नलकार पंजीयन का नवीनीकरण
66. आर्किटेक्ट का पंजीयन
67. आर्किटेक्ट के पंजीयन का नवीनीकरण
68. विज्ञापन एजेन्सी का पंजीयन
69. विज्ञापन एजेन्सी का पंजीयन का नवीनीकरण
70. कालोनाईजर का पंजीयन
71. कालोनाईजर के पंजीयन का नवीनीकरण
72. रिक्शा मालिक का पंजीयन
73. रिक्शा चालक अनुज्ञप्ति
74. रिक्शा चालक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण
75. रिक्शा चालक अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि
76. जन्म प्रमाण-पत्र पुराना डाटा का संग्रहण
77. बी.पी.एल. पुराने डाटा का फोन्ट बदलना .
78. वार्डवार कर्मचारियों की जानकारी रखना (स्वास्थ्य विभाग)
79. स्वास्थ्य सेवाएं (स्वास्थ्य विभाग)
80. व्हिकल रूट चार्ट रखना (स्वास्थ्य विभाग)
81. सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की स्थापना पंजीयन का संधारण

82. सामान्य प्रशासन विभाग मासिक वेतन पत्रक
83. विभागवार स्थापना की जानकारी
84. शासकीय कर्मचारियों को मकान आवंटन
85. विभागीय जांच की जानकारी
86. प्रमुख कार्यालय-स्थापना आयोजनेत्तर आय-व्यय की मासिक रिपोर्ट
87. परिक्षेत्र कार्यालय-स्थापना आयोजनेत्तर आय-व्यय की मासिक रिपोर्ट
88. मण्डल कार्यालय-स्थापना आयोजनेत्तर आय-व्यय की मासिक रिपोर्ट
89. संभाग कार्यालय-स्थापना आयोजनेत्तर आय-व्यय की मासिक रिपोर्ट
90. परिक्षेत्र कार्यालय-स्थापना आयोजना आय-व्यय की मासिक रिपोर्ट
91. मण्डल कार्यालय-स्थापना आयोजना आय-व्यय की मासिक रिपोर्ट
92. संभाग कार्यालय-स्थापना आयोजना आय-व्यय की मासिक रिपोर्ट
93. प्रमुख कार्यालय-स्थापना आयोजनेत्तर आय-व्यय की तिमाही रिपोर्ट
94. परिक्षेत्र कार्यालय-स्थापना आयोजनेत्तर आय-व्यय की तिमाही रिपोर्ट
95. मंडल कार्यालय-स्थापना आयोजनेत्तर आय-व्यय की तिमाही रिपोर्ट
96. संभाग कार्यालय-स्थापना आयोजनेत्तर आय-व्यय की तिमाही रिपोर्ट
97. परिक्षेत्र कार्यालय-स्थापना आयोजना आय-व्यय की तिमाही रिपोर्ट
98. मण्डल कार्यालय-स्थापना आयोजना आय-व्यय की तिमाही रिपोर्ट
99. संभाग कार्यालय-स्थापना आयोजना आय-व्यय की तिमाही रिपोर्ट
100. संभागीय कार्यालय-स्थापना आयोजना आय-व्यय की मासिक रिपोर्ट
101. परिक्षेत्र कार्यालय-आयोजना आय-व्यय की बजट रिपोर्ट
102. सेक्शन कार्यालय-आयोजना आय-व्यय की बजट रिपोर्ट
103. प्रमुख अभियन्ता कार्यालय की आय-व्यय पत्रक (प्रपत्र 1, 2 और 3)
104. न्यायालयीन प्रकरण (कार्य संबंधी)
105. न्यायालयीन प्रकरण (स्थापना संबंधी)
106. पंजीकृत ठेकेदारों की सूची (श्रेणी के आधार पर)
107. प्रतिशत बजट रिपोर्ट प्रमुख अभियंता कार्यालय का आवंटन एवं व्यय का प्रतिशत पत्रक
108. हेण्ड पम्प एवं विद्युत पम्पों की जानकारी का संधारण
109. बिगड़े हुए हैण्ड पम्प एवं विद्युत पम्पों की जानकारी का संधारण
110. विभिन्न श्रेणी के कार्य की जानकारी का संधारण
111. फिल्टर प्लान्ट, इनटेक कूप एवं उनकी योजना से संबंधित जानकारी का संधारण
112. विभिन्न मदों में प्राप्त राशि एवं उनके व्यय की जानकारी
113. विभिन्न वार्डों विद्युत खंबों की जानकारी रखना
114. वार्डवार नये विद्युत खंबों की जानकारी रखना
115. विद्युत विभाग के विभिन्न मदों में प्राप्त राशि एवं उनके व्यय की जानकारी
116. शिक्षा विभाग के कर्मचारी पोस्ट सेटअप
117. शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वरिष्ठता एवं पदोन्नति संबंधित जानकारी
118. शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी (शासकीय/शिक्षा विभाग)
119. शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी (शा./आ.जा.क.वि.)
120. शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी (अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था)
121. शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी (गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था)
122. शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी (स्थानीय शिक्षण संस्था)
123. शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी (अन्य संस्थाएं)
124. प्राईमरी स्कूल के छात्रों से संबंधित जानकारी (जिला, विकासखण्ड श्रेणी के आधार पर)
125. मिडिल स्कूल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्रों से संबंधित जानकारी (जिला, विकासखण्ड श्रेणी के आधार पर)
126. स्कूल से संबंधित जानकारी

127. स्कूल में नामांकित छात्रों की जानकारी
128. बोर्ड का परीक्षा परिणाम
129. मध्यान्ह भोजन योजना
130. मुफ्त पुस्तक योजना
131. छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना
132. क्लास प्रोजक्ट (कम्प्यूटर साक्षरता)

Raipur, the 13th July 2006

No. 198/A.C.S./I.T./B.T./2006/CHOiCE.—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rules 2003, the following services are hereby declared as notified Citizen Services :—

1. BPL Certificate Printing
2. BPL Survey Data Entry
3. No Objection Certificate for Nazul land
4. Public Grievance (RMC)
5. Public Grievance (Collectorate)
6. Issue of New Ration Card
7. Duplicate Ration Card
8. Surrender of Ration Card
9. Alteration of Ration Card
10. No Objection Certificate for Explosive Items Storage License
11. No Objtion Certificate for Kerosene. Storage License
12. No Objection Certificate for Petro. Diesel Storage License
13. No Objection Certificate of Dangerous & Offensive Trade
14. No Objection Certificate of RDA Electric Connection
15. Data Entry for Lease of Nazul Land
16. Renewal lease of Nazul Land
17. Name Transfer of Nazul Land
18. Allotment of RMC Shop
19. Renewal RMC Shop
20. Name Transfer of RMC Shop
21. Application for water tap connection private
22. Issue Arms License
23. Arms License Renewal
24. Issue Gumasta License
25. Renewal of Gumasta License
26. Nakal of a document
27. No Dues Certificate
28. Receive Payment for Property Tax
29. Name Transfer of Property
30. Information of Missing persons
31. Information of Unidentified Bodies
32. Information of Missing vehicles
33. First Information Report (FIR)
34. CHOiCE Agent Registration
35. E-Payment Seva Electricity Bill Payment
36. E-Payment Seva Telephone Bill Payment
37. Cancellation or surrender of Gumosta License

38. Duplicate Gumosta License
39. Alteration of Gumosta License
40. NOC for building construction permission
41. Name transfer for property and building
42. New building plan approval
43. Extension to building plan approval
44. Alteration of building plan approval
45. Application related to intimation of commencement of building construction
46. Application related to intimation of occupancy of building construction
47. Application for time extension of building construction
48. Application for Duplicate building plan
49. Grant permission to develop land
50. Rajya Bimari Sahayta Nidhi
51. Gratuitous Relief
52. Akasmikata Yojana
53. Inter Caste Marriage
54. Rahat Yojana
55. Indira Awas Yojana
56. Pradhan Mantri Rojgar Yojana
57. Swaran Jayanti Gram Swarojagar Yojana
58. Credit Cum Subsidy for rural housing
59. Girl child Benefit Scheme
60. Maternity Benefit Scheme
61. Rashtriya Parivar Sahayta Yojana
62. Rashtriya Vriddhavasta Pension Yojana
63. Samajik Suraksha Pension Yojana
64. Registration of Plumber-New
65. Registration of Plumber - Renewal
66. Registration of Architect-New
67. Registration of Architect - Renewal
68. Registration of Advertising Agency-New
69. Registration of Advertising Agency-Renewal
70. Registration of Colonizer-New
71. Registration of Colonizer-Renewal
72. Rickshaw Ownership Registration
73. Issue Rickshaw Driving License
74. Renewal of Rickshaw License
75. Duplicate Rickshaw License
76. Data Entry and uploading s/w for Birth Registration
77. Data Conversion from Arjun font an uploading s/w for BPL
78. Health - wardwise workers information
79. Health - Services
80. Health- vehicular route chart
81. GAD- establishment register of employees
82. GAD - Monthly salary voucher
83. GAD - departmentwise establishment information
84. GAD - house allotment of Govt. employees
85. GAD - departmental enquiries under consideration
86. PWD - Monthly Report for Head Office - (Non - plan Grant and Expenditure for Establishment)
87. PWD - Monthly Report for Zone Office - (Non-plan Grant and Expenditure for Establishment)
88. PWD - Monthly Report for Circle Office- (Non-Plan Grant and Expenditure for Grant Establishment)
89. PWD - Monthly Report for Execution- (Non - plan Grant and Expenditure for Establishment)
90. PWD - Monthly Report for Zone Office- (Plan Grant and Expenditure for Establishment)
91. PWD - Monthly Report for Circle Office- (Plan Grant and Expenditure for Establishment)
92. PWD - Monthly Report for Execution- (Plan Grant and Expenditure for Establishment)

93. PWD - Quarterly Report for Head Office- (Non - plan Grant and Expenditure for Establishment)
94. PWD - Quarterly Report for Zone Office- (Non - plan Grant and Expenditure for Establishment)
95. PWD - Quarterly Report for Circle Office- (Non - plan Grant and Expenditure for Establishment)
96. PWD - Quarterly Report for Execution- (Non - plan Grant and Expenditure for Establishment)
97. PWD - Quarterly Report for Zone Office- (Plan Grant and Expenditure for Establishment)
98. PWD - Quarterly Report for Circle Office- (Plan Grant and Expenditure for Establishment)
99. PWD - Quarterly Report for Execution- (Plan Grant and Expenditure for Establishment)
100. PWD - Monthly Report for Division Office- Grant and Expenditure for work
101. PWD - Budget Report for Zone Office- Grant and Expenditure for work
102. PWD - Budget Report for Section Office- Grant and Expenditure for work
103. PWD - Budget Report for State (Format 1, 2 & 3)- Grant and Expenditure for work
104. PWD - Court Cases for Development Work
105. PWD - Court Cases for Establishment Work
106. PWD - List of all registered contractors classwise
107. PWD - Percentage Budget Report of Grant and Expenditure for work
108. Water supply - detailed information regarding power/hand pump
109. Water supply - information regarding damaged power/hand pump
110. Water supply - works done under different categories
111. Water supply - information regarding filter plants, intake wells and associated plans
112. Water supply - available fund in different categories and their expenditure
113. Electricity - information regarding electricity poles at different wards
114. Electricity - wardwise expenditure - new poles
115. Electricity - allocation budget - for department and expenses
116. Education - Employee Post Setup
117. Education - Employee Seniority and Promotion List
118. Education - Student Enrolment Details (Govt./Education Dept.)
119. Education - Student Enrolment Details (Govt./Tribal Dept.)
120. Education - Student Enrolment Details (Granted School)
121. Education - Student Enrolment Details (Non- Granted School)
122. Education - Student Enrolment Details (Local Body School)
123. Education - Student Enrolment Details (Others)
124. Education - Student Numerical Data Details District-wise, Block-wise, Category-wise (Primary School)
125. Education - Student Numerical Data Details District-wise, Block-wise, Category-wise (Middle/High/Higher Secondary School)
126. Education - School Particular Details
127. Education - School Studant Details Enrolment
128. Education - Education School Result of Board Examination
129. Education - MDM (Mid Day Meal) plan
130. Education - FTB (Free Text Book) plan
131. Education - CSSY (Chhattisgarh Suchana Shakti Yojana)
132. Education - Class Project (Computer Literacy)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2006

क्रमांक/1754/वा-1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04/अ/82-03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	घुमरापदर	11.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबन्द.	घुमरापदर जलाशय योजना के अन्तर्गत उलट नाली निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 6 जून 2006

प.क्र. 4 अ 82 05 06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मलकछरा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 13.942 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
237/1	6.398
240/1	0.575
237/2	6.394
240/2	0.575
योग 4	13.942

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है मोहपार जलाशय योजना के शीर्ष कार्य के एफलक्स बंड एवं डुबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2006

क्रमांक 1751/वा-1/भू-अर्जन/01/अ/82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-दरलीपारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58	0.02
14	0.48
15	0.12
19/1	0.06
17	0.15
19/2	0.11
50/1	0.02
39	0.11
41	0.56
37	0.06
43	0.07
87	0.30
86	0.02
38	0.03
89	0.02
88	0.15
81	0.06
82	0.04
योग 18	2.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-धूपकोट जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2006

क्रमांक 1752/वा-1/भू-अर्जन/05/अ/82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-सुकलीभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
454	0.08
455	0.03
456	0.07
208/4	0.05
457	0.04
477	0.03
476	0.03
475	0.16
496	0.04
498	0.13
612	0.09

(1)	(2)
613	0.14
610	0.20
609	0.19
617	0.19
620	0.12
580	0.23
624/1	0.24
624/2	0.23
297, 300	0.25
634	0.14
637	0.06
636	0.07
638	0.10
639	0.12
319	0.20
318	0.21
315	0.06
290	0.20
314	0.19
301	0.06
299	0.07
298	0.31
312	0.20
311	0.05
302	0.06
215	0.20
208/3	0.16
453	0.01
209	0.16
योग 40	5.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-धूपकोट जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2006

क्रमांक 1753/वा-1/भू-अर्जन/04/अ/82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-गोहरापदर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
9	0.08
10	0.17
21	0.21
53/1	0.08
54	0.08
86/2	0.23
87	0.14
85/2	0.07
70	0.11
83	0.12
69	0.02
78	0.14
127	0.13
126	0.20
132	0.06
294/2	0.05
294/1	0.07
293	0.06
81	0.05
292	0.06
289	0.25
287	0.09
212/1	0.15
213	0.13

(1)	(2)
214	0.07
215	0.06
210	0.06
333	0.10
332	0.07
337	0.07
338	0.04
339	0.08
योग 32	3.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-धूपकोट जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 जुलाई 2006

क्रमांक 5282/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-सांगिन कछार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-57.837 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
260/5	0.231
261/3	0.154
277	1.218
327/1	0.344
278/3	0.687
285/1	0.101
285/4	0.121
285/2	0.121
288/1	0.049
288/2	0.049
287	0.405
310	0.121
293/3	1.215
261/1	0.162
261/2	0.388
290/1	0.170
260/4	0.065
291/1	0.243
303/1	0.061
292	0.202
441/2	0.101
293/1	0.821
293/2	1.356
298/6	0.170
299	0.101
350	0.032
352	0.057
354	0.040
357	0.097
359	0.032
360	0.032
298/1	0.158
261/9	0.057
268/3	0.004
262/4	0.109
261/10	0.081
263/1	0.372
269/1	0.138
264/2	0.081
265/4	0.227
265/2	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
265/5	0.040	325	0.057
265/3	0.077	297/1	0.235
265/7	0.040	273/11	0.085
298/2	0.024	296	0.049
265/6	0.251	308/2	0.024
298/4	0.154	311/2	0.699
330	0.158	534/2	0.562
550/4	0.093	308/1	0.040
552/3	0.152	537/10	0.158
552/2	0.405	307/1	0.020
298/5	0.097	307/4	0.016
273/2	0.163	307/2	0.024
273/9	0.162	307/5	0.045
273/21	0.053	306	0.109
297/2	0.012	307/3	0.020
270/3	0.162	305/2	0.077
270/4	0.177	309/2	0.057
270/5	0.421	302	0.125
270/1	0.166	312	0.773
270/9	0.077	303/2	0.060
270/6	0.089	304	0.142
270/7	0.125	313	0.466
270/8	0.101	289	0.049
270/10	0.053	311/1	0.396
270/2	0.089	314	0.372
262/3	0.109	316/1	0.097
262/1	0.528	80	0.301
261/5	0.222	327/2	0.040
263/2	0.008	327/3	0.263
261/6	0.203	329/1	0.061
298/8	0.025	298/7	0.036
265/9	0.024	349/1	0.628
269/5	0.133	548/2	0.284
264/1	0.262	349/3	0.223
265/1	0.210	555/2	0.668
265/8	0.081	351	0.304
265/2	0.607	355	1.388
265/9	0.324	353	0.364
87/4	0.040	356/1	0.077
260/3	0.533	356/3	0.049
261/4	0.142	356/5	0.040
261/7	0.057	362/6	0.081
305/1	0.093	362/8	0.049
309/1	0.085		

(1)	(2)
362/10	0.061
362/12	0.142
362/14	0.061
356/2	0.045
362/5	0.028
362/7	0.089
362/9	0.101
356/4	0.024
356/6	0.045
362/11	0.016
362/13	0.008
362/15	0.065
534/1	0.437
535/1	0.081
535/3	0.061
535/7	0.028
535/2	0.040
535/4	0.061
535/6	0.020
87/2	0.081
535/5	0.129
533/3	0.085
533/6	0.069
533/7	0.093
533/1	0.069
533/4	0.049
537/2	0.142
301/4	0.041
537/20	0.049
329/4	0.032
537/21	0.041
542	0.036
537/1	0.028
308/3	0.028
537/14	0.223
494/1	0.036
537/4	0.110
537/3	0.049
537/18	0.045
537/5	0.052
540/1	0.105
537/9	0.057
537/7	0.275
537/6	0.073
540/2	0.466

(1)	(2)
537/11	0.170
537/12	0.109
531	0.591
538	0.166
539	0.134
530	0.081
527/2	0.134
541/1	0.182
543/3	0.413
543/4	0.903
544/1	0.534
544/2	0.502
545/1	0.369
546	0.150
547	0.202
545/2	0.202
548/1	0.267
553/2	0.405
555/1	1.011
544/3	0.490
549/1	0.518
551/3	0.672
594/2	0.061
551/1	0.304
550/1	0.125
550/3	0.227
550/2	0.219
551/2	0.101
549/2	0.101
549/3	0.210
553/1	0.413
548/3	0.413
552/6	0.680
552/5	0.202
552/8	0.251
552/9	0.251
552/4	0.705
555/3	1.470
554/1	1.320
328	0.101
553/3	0.421
554/2	0.274
556/1	0.771
556/2	0.771

(1)	(2)
559	0.737
560	0.709
438/3	0.202
441/4	0.041
533/2	0.028
533/5	0.117
329/1	0.061
301/3	0.041
537/22	0.105
329/5	0.024
301/1	0.040
537/19	0.049
329/3	0.024
537/25	0.205
301/2	0.040
537/23	0.049
537/24	0.024
316/2	0.283
308/4	0.016
308/5	0.029
537/8	0.121
537/15	0.020
537/16	0.040
260/1	0.016
260/2	0.020
260/6	0.024
260/7	0.397
268/2	0.016
270/11	0.069
270/13	0.085
273/5	0.260
273/6	0.223
291/1	0.243
291/2	0.243
298/3	0.032
308/2	0.024
357/7	0.125
356/9	0.037
362/4	0.121
356/8	0.093
362/3	0.061
537/17	0.167
323	0.120
285/3	0.202
537/13	0.129
552/7	0.255
349/2	0.040
264/3	0.204
298/4	0.154
280/1	0.145
280/2	0.069
280/4	0.073
280/6	0.069
280/8	0.064
326/1	0.809
326/2	0.239
261/8	0.032
295	0.040
280/3	0.068
280/5	0.073
280/7	0.069
280/9	0.064
280/11	0.069
273/15	0.138
273/8	0.141
273/10	0.044
273/23	0.130
273/13	0.141
273/12	0.032
273/19	0.065
273/24	0.045
योग 288	57.837

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखा नाला बॅराज डोंगरगांव. (डूबान क्षेत्र)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 जुलाई 2006

क्रमांक 5283/भू- अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-आसरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-92.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
729	0.105
730	1.372
731	0.045
732	0.057
728	0.101
723	0.032
724	0.032
1304	0.154
1311/2	0.543
1311/4	0.251
1311/6	0.016
1312	0.401
1327/2	2.808
725	0.036
727	0.178
1254/8	0.081
1254/7	0.101
1254/11	0.607
1254/9	0.482
1344/1	0.226
1344/2	0.226
1344/3	0.235
1344/4	0.223
1344/6	0.324
1344/5	0.235
1345	4.789
1347/1	1.635
1347/3	0.275
1347/2	0.375
1356	0.081
1357	0.081
1362/2	0.021
1348	0.227
1349	0.178
1350	0.749
1352/1	1.056
1375/2	0.657
1376	0.057
1377	0.040
1302	0.243
1301	0.101
1303	0.405
1378	0.045
1325	0.227
1379	0.045
1352/2	0.073
1382	0.081
1343/6	0.366
1352/4	0.729
1375/1	0.334
1353/1	0.162
1354	0.757
1320	0.105
1321	0.206
1355	0.121
1366	0.036
1368	0.235
1372	0.061
1172	0.368
1358	0.081
1360/2	0.340
1359/1	0.101
1359/3	0.203
1156	0.640
1293	0.016

(1)	(2)
1361	0.081
1362/1	1.497
1173	0.223
1363/1	0.081
1371	0.061
1363/2	0.081
1179	0.040
1369/1	0.162
1373/1	0.603
1145/1	0.049
1324/7	0.239
1330/6	0.061
1374	0.186
1330/7	0.125
1331	0.242
1066	0.049
1333	1.821
1306	0.615
1329/1	0.364
1280	0.281
1324/3	0.016
1324/4	0.081
1330/5	0.141
1305/2	0.101
1309/15	0.223
1309/16	0.125
1306/2	0.061
1313/4	0.040
1309/7	0.121
1309/8	0.226
171	0.445
1307/3	0.049
1309/9	0.052
1313/5	0.036
1309/10	0.081
1309/11	0.150
1309/12	0.263
1307/4	0.089
1313/6	0.041
1186/1	0.259
1330/2	0.324
1330/3	0.053
1186/2	0.870

(1)	(2)
1191/2	0.170
1324/2	0.340
1330/4	0.056
1327/1	0.219
1334/1	0.486
1334/3	1.356
1334/2	0.992
1335/1	0.485
1335/2	0.729
1286/4	0.061
1310/1	0.049
1183/2	0.0526
1286/3	0.060
1310/2	0.607
1310/3	0.749
1310/4	0.290
1311/7	0.259
1311/1	0.567
1291/2	0.304
1291/4	0.494
1291/6	1.392
1297/1	0.052
1286/2	0.134
1311/8	0.607
1308	1.518
1305/3	0.106
1307/1	0.072
1313/2	0.036
1309/3	0.060
1309/4	0.073
1305/1	0.101
1313/3	0.041
1309/5	0.173
1309/6	0.331
1291/9	0.263
1291/7	0.709
1297/2	0.615
1294/1	0.304
1294/2	0.316
1291/10	1.237
1294/3	0.020
1295	0.036
891	0.069
1291/8	0.833
1287	0.057

(1)	(2)	(1)	(2)
1292	0.036	1282/4	0.032
1296	0.081	1282/5	0.081
1298	0.231	1185	0.121
1285	0.202	1188/5	0.154
1299	0.129	1188/7	0.089
1317	0.275	1188/3	0.178
1318	0.194	1188/10	0.057
1323	0.304	1188/6	0.405
1291/3	0.655	1188/9	0.202
1291/13	1.319	1188/8	0.162
1290	0.138	1188/14	0.101
1289	0.190	1187/2	0.486
1288/1	0.024	1170/1	0.162
1288/2	0.029	1170/5	0.809
1183/1	0.405	1174/1	0.049
1183/3	0.169	1174/5	0.096
1286/1	0.264	1191/1	0.687
1297/3	0.049	1324/1	0.413
1291/11	0.809	1190/1	0.275
1291/12	1.388	1190/2	0.138
1177	0.036	1170/2	0.328
1282/2	0.121	1171	0.999
1282/3	0.061	1165	0.286
1283	0.121	1167/1	0.014
1153/1	0.049	1167/2	0.409
1167/4	0.093	1153/2	0.045
1282/1	0.700	1167/3	0.409
1176	0.040	1153/3	0.247
1149/1	0.152	1152	0.385
1149/2	0.040	1151	0.579
1284	0.121	1150	0.161
1178	0.040	1155/1	1.489
1184	0.012	1146/1	0.081
1180	0.040	1311/3	0.291
1359/2	0.101	1311/5	0.113
1281/2	0.073	1316	0.372
1281/3	0.040	1324/5	0.299
1281/1	0.202	1313/1	0.036
1281/4	0.061	1309/1	0.186
1281/5	0.142	1309/2	0.206
1281/6	0.040	1322	0.069
1281/7	0.300	1326	0.105
1272	0.101	886	0.089

(1)	(2)
887	0.121
889/1	0.061
889/2	0.004
186	1.000
177	0.223
169/1	0.190
169/2	0.097
169/3	0.093
169/4	0.093
172/1	0.640
172/2	0.635
175	1.574
176	0.660
173	1.449
1324/6	0.024
1324/8	0.301
1170/4	0.615
1174/4	0.085
1369/2	0.121
1352/3	0.101
1383	0.125
1373/2	0.283
1145/2	0.048
1188/11	0.324
1373/3	0.283
1360/1	0.141
1153/4	0.202
1153/5	0.202
1170/6	0.202
1170/7	0.958
1170/8	0.506
1174/2	0.086
1174/3	0.085
1188/1	0.539
1188/2	0.101
1188/4	0.121
1188/12	0.202
1188/13	0.121
1188/15	0.182
1291/1	0.304
1291/5	0.324
1309/13	0.190
1309/14	0.304
1314/2	0.190
1315	0.388
1319	0.154
1324/9	0.141
1330/8	0.121
1343/4	0.567
1351/1	0.202
1351/3	0.186
1351/5	0.161
1351/7	0.138
1079	0.405
1351/2	0.162
1351/4	0.356
1351/6	0.138
1351/8	0.441
1330/1	0.053
1067/3	0.024
1067/1	0.024
1067/2	0.049
1067/4	0.049
1166/1	0.624
1166/3	0.445
1166/4	0.105
योग 303	92.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखा नाला बॅराज डोंगरगांव. (डूबान क्षेत्र)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 जुलाई 2006

क्रमांक 5284/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-भाँठा बम्हनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-85.820 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
69	0.040
70	0.040
14/1	0.255
14/3	0.045
199	1.809
44/1	0.004
209/2	0.020
217/1	0.040
217/4	0.113
44/2	0.004
209/3	0.020
217/2	0.162
41/3	0.020
183/1	0.372
92/4	0.146
92/5	0.150
92/2	0.061
206/14	0.283
94/3	1.376
94/11	0.146
94/14	0.065
45	0.008
219/1	0.445
358/3	0.417
105	1.348
106/1	0.408
46/5	0.004
206/13	0.445
206/16	0.081
30/3, 31/2	0.202
30/4	0.223
11	0.194
80/2	0.032
52	0.040
34/16	0.134
33/11	0.186
34/04	0.085
75/1	0.008
175/7	0.125
175/8	0.255
65/1	0.016
65/3	0.008
201/2	1.935
201/3	0.202
378/3	0.405
229/2	0.558
358/2	0.081
381	0.081
382	0.267
26	0.049
18/1	0.020
36/3	0.049
59/1	0.045
61/1	0.024
237/13	0.214
206/3	0.109
206/11	0.567
234/3	0.101
36/1	0.053
88/2	0.239
4	0.093
357	0.530
19/3	0.016
106/3	0.405
216/2	0.276
227/1	0.101
227/3	0.061
237/24	0.125
106/2	0.061
19/4	0.008
27/4	0.048
33/2	0.020
33/12	0.069
33/13	0.032
57/1	0.061
39	0.105
17	0.081
83	0.024
86/1	0.053
3/2	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
15/1	0.040	379/1	0.211
34/02	0.373	351/2	0.405
34/7	0.231	208/1	0.040
34/12	0.057	214/2	0.028
55/2	0.008	208/4	0.040
58/2	0.016	218/5	0.089
84/2	0.008	214/7	0.061
28/3	0.073	229/3	0.174
219/2	0.284	42/1	0.008
221/4	0.303	218/2	0.280
221/17	0.134	214/4	0.016
35/6	0.825	214/6	0.202
35/3	0.065	108/1	0.574
183/3	0.243	20	0.040
179/5	0.304	22	0.081
200/2	0.073	63	0.020
200/3	0.215	64	0.040
42/3	0.008	207	0.514
208/5	0.040	87	0.417
214/8	0.049	28/4	0.081
218/3	0.089	90/1	0.162
218/4	0.089	91/2	0.186
214/9	0.040	25/2	0.024
27/2	0.101	34/18	0.259
32/1	0.0170	211	0.295
32/2	0.587	212	0.243
32/5	0.077	213	0.781
34/14	0.089	206/17	0.501
68/1	0.016	36/2	0.052
121/2	0.202	29/4	0.093
2	0.073	221/14	0.401
16	0.081	47/2	0.016
25/1	0.053	217/5	0.129
76/1	0.045	226/1	0.376
77/1	0.020	28/1	0.040
80/1	0.069	28/6	0.057
379/1	0.243	90/2	0.344
51/1	0.049	18/5	0.037
51/3	0.004	54/2	0.049
51/4	0.008	59/2	0.065
232/1	0.0141	61/2	0.024
232/3	0.121	237/20	0.024
232/4	0.113	237/27	0.032
28/5	0.101	206/6	0.109
90/3	0.344	206/10	0.202
		29/1	0142
		221/3	0.255
		221/16	0.142
		41/1	0.016
		47/1	0.012

(1)	(2)
208/3	0.143
214/10	0.032
73	0.053
92/1	0.210
101	0.049
107/1	0.624
29/3	0.077
221/13	0.342
221/12	0.117
28/2	0.073
94/5	0.910
355/2	0.041
93	0.486
12/2	0.073
94/2	0.479
94/8	0.486
19/1	0.004
27/1	0.053
33/14	0.032
33/7	0.069
33/4	0.024
46/4	0.008
206/5	0.109
206/7	0.648
209/1	0.020
217/3	0.162
209/4	0.097
65/2	0.024
201/1	1.619
201/4	0.425
378/2	0.405
18/4	0.025
54/3	0.024
59/4	0.012
237/12	0.214
98	0.040
99	0.040
100	0.190
352/3	0.206
50	0.028
355/1	0.040
231/2	0.146
231/3	0.032
231/4	0.040
5	0.061

(1)	(2)
9	0.150
24	0.032
60	0.057
76/2	0.024
85/1	0.057
89	1.181
38	0.020
67	0.016
227/2	0.288
226/2	0.357
216/1	0.279
200/1	0.283
3/3	0.012
15/2	0.040
34/3	0.081
34/5	0.093
34/9	0.275
34/11	0.162
55/3	0.008
57/3	0.016
84/3	0.008
58/3	0.016
8	0.142
79/2	0.049
79/3	0.049
358/4	0.093
225/1	0.324
3/4	0.012
10/2	0.077
34/6	0.299
34/8	0.340
24/10	0.089
55/4	0.008
58/4	0.012
57/2	0.016
77/2	0.008
29/2	0.093
221/11	0.238
221/15	0.210
175/2	0.125
175/3	0.146
175/9	0.304
180/2	0.032
40	0.049
53	0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
361/2	0.809	175/4	0.255
361/4	0.008	175/6	0.125
358/1	1.352	23	0.271
232/2	0.133	12/1	0.073
355/3	0.040	37/3	0.124
35/1	0.672	108/2	0.182
35/5	0.405	108/3	0.101
48	0.020	108/6	0.081
56	0.016	228/2	0.243
81/2	0.061	361/6	0.142
81/1	0.162	173/8	0.235
84/1	0.004	3/1	0.012
85/2	0.065	10/1	0.065
86/2	0.052	34/1	0.397
82	0.028	55/1	0.008
42/2	0.012	58/1	0.016
208/2	0.243	35/2	0.065
214/1	0.008	35/7	0.134
214/3	0.012	35/8	0.959
214/5	0.020	18/3	0.020
214/7	0.425	54/1	0.029
218/1	0.506	59/3	0.008
43	0.012	237/11	0.146
51/2	0.061	237/18	0.053
232/5	0.113	219/5	0.169
66	0.020	221/8	0.243
74	0.049	219/4	0.154
175/1	0.438	221/7	0.121
175/5	0.125	221/6	0.020
179/6	0.049	221/5	0.324
180/1	0.032	94/9	0.121
34/17	0.073	94/4	1.396
94/6	0.227	347/3	0.640
225/2	0.304	352/1	0.283
86/3	0.053	46/2	0.008
92/3	0.243	46/3	0.004
354	0.628	179/1	0.173
229/1	0.368	234/4	0.069
234/5	0.223	206/8	0.283
6	0.073	91/1	0.247
7/1	0.036	221/1	0.162
21	0.040	221/9	0.303
192/1	0.215	221/10	0.020
7/2	0.036	108/4	0.405
75/2	0.032		

(1)	(2)
108/5	0.223
228/1	0.470
225/3	0.490
233	0.575
237/23	0.129
234/27	0.117
18/2	0.028
237/17	0.020
88/1	0.235
206/1	0.409
231/1	0.271
30/1	0.012
31/1	0.239
34/13	0.234
219/3	0.405
183/7	0.004
34/15	0.085
379/2	0.441
103	0.648
347/4	0.438
14/2	0.243
33/3	0.020
33/6	0.081
33/8	0.263
33/10	0.160
30/2	0.020
27/3	0.101
32/3	0.101
32/4	0.199
34/19	0.085
68/2	0.024
221/18	0.182
19/2	0.012
33/1	0.020
33/5	0.308
33/9	0.324
209/2	0.004
35/4	0.631
49	0.081
215/1	0.340
215/2	0.243
37/1	0.129
37/2	0.125
84/4	0.008
62	0.049
71	0.024
72	0.028
210	1.732
94/12	0.129
349/1	1.299
351/1	0.761
352/5	0.040
230	0.632
46/1	0.004
206/2	0.162
206/12	0.243
206/9	0.283
12/3	0.077
94/7	1.060
94/13	0.316
347/1	0.599
347/5	0.494
176	0.324
178/1	1.955
178/2, 479	0.020
94/1	0.490
94/10	0.129
347/2	0.583
350	0.567
206/4	0.109
206/15	0.162
41/2	0.020
योग 428	85.820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखा नाला बॅराज डोंगरगांव. (डूबान क्षेत्र)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 2663/नग्रानि/विधि/एल. यू. 20/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 (1) के अनुसरण में महासमुन्द निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 9718/नग्रानि/विधि/एल. यू.—20/05 दिनांक 22-11-05 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट महासमुन्द निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है, एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा-15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप में तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

महासमुंद निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. **उत्तर** : ग्राम खरोरा, बेमचा तथा तुमाडबरी की उत्तरी सीमा तक.
2. **पश्चिम** : ग्राम तुमाडबरी, पतेरापाली एवं लभराखुर्द की पश्चिमी सीमा तक.
3. **दक्षिण** : ग्राम लभराखुर्द, खैरा, परसकोल तथा मचेवा की दक्षिणी सीमा तक.
4. **पूर्व** : ग्राम मचेवा तथा खरोरा की पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पालिका परिषद्, महासमुंद.

Raipur, the 19th April 2006

No. 2663/T&CP/Law/L. U. 20/06.— The existing Land use map and register for the Mahasamund planning Area was published under Sub-section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (23 of 1973) vide Notice No. 2718/T&CP/LU-20/05, dated 22-11-2005.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing Land use maps and registers of Mahasamund planning Area so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country planning, under the provision of Sub-section (3) of Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of Sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dt.

SCHEDULE

Mahasamund planning Area Limits

1.	**North**	-	Village-Kharora, Bemcha and upto the Northern limit of Tumadabari village.
2.	**West**	-	Village-Tumadabari, Paterapali and upto the Western limit of Labhra Khurd village.
3.	**South**	-	Village-Labhra Khurd, Khaira, Paraskol and upto the Southern limit of Macheva village.
4.	**East**	-	Village-Macheva and upto the Eastern limit of Kharora village.

The said adopted maps and registers shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of the Municipal Council Mahasamund.

व्ही. पी. मालवीय,
संयुक्त संचालक.

उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक/529/नग्रानि/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 (1) के अनुसरण में अम्बिकापुर निवेश क्षेत्र में शामिल ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 171/नग्रानि/विधि/ग्ल. ग्र.—1/06 दिनांक 22-02-2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अम्बिकापुर (संशोधित) निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है. इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा-15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप में तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

अम्बिकापुर (संशोधित) निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1.	**उत्तर में**	:	ग्राम अजबनगर, अजिरमा, भगवानपुर, मेन्ड्राखुर्द, डिगमा, फुंदूरडिहारी, अम्बिकापुर एवं मायापुर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
2.	**पूर्व में**	:	ग्राम मायापुर, बधियाचुवां, श्रीगढ़ एवं लुचकी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
3.	**दक्षिण में**	:	ग्राम लुचकी, पचपेढ़ी एवं लक्ष्मीपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

4. **पश्चिम में** : ग्राम लक्ष्मीपुर, गंगापुर, नमनाकला, बिशुनपुर, अजिरमा, महावीरपुर एवं अजबनगर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : प्रशासनिक भवन नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ. ग.)

Korba, the 6th May 2006

No./529/T.& CP/2006.— The existing Land use map and register for the Ambikapur planning Area was published under Sub-section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 171/T&CP/LU-1/06 dated 22-02-2006.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the Existing Land used maps & registers of Ambikapur (Extended) so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country planning, under the provision of Sub-section (3) of Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of Sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

AMBIKAPUR (EXTENDED) PLANNING AREA LIMITS

1. **North** - Village-Ajab Nagar, Ajirma, Bhagwanpur, Maindra Khurd, Digma, Phudurdihari, Ambikapur & Upto Northern Limit of village Mayapur.
2. **East** - Village-Mayapur, Badhiyachava, Shrigarh and Upto Eastern Limit of village Luchki.
3. **South** - Village-Luchki, Pachpadi and Upto Southern Limit of village Laxmipur.
4. **West** - Village-Laxmipur, Gangapur, Namnakala, Kisunpur, Ajirma, Mahavirpur and Upto Western Limit of village Ajab Nagar.

The said adopted maps and registers shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Administrative Building Nagar Palik Nigam, Ambikapur Distt. Surguja (C. G.)

जे. सी. निदारिया,
उप संचालक.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवम् भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

बिलासपुर, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक 12/अ-82/05-06.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अधिसूचना क्रमांक 12/अ-82/05-06 दिनांक 23-3-2006 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोग के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31-3-2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोग समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	परसाही/36	149/3	0.30 एकड़

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

बिलासपुर, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 14/अ-82/05-06.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जिला बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 14/अ-82/05-06 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर, परियोजना के लिये जल परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोग के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-4-2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	कुली/34	244/2	0.50
			532/3	0.60
		योग	02	1.30

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

बिलासपुर, दिनांक 16 जून 2006

क्रमांक 13/अ-82/05-06.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जिला बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 13/अ-82/05-06 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर, परियोजना के लिये जल परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोग के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-4-2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	दवनडीह/36	96	0.28
			76/5	0.24
			76/1	0.05
		योग	03	0.57

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2006

क्रमांक 15/अ-82/05-06.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जिला बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 15/अ-82/05-06 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ज़िला बिलासपुर, परियोजना के लिये जल परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोग के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 28-4-2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	कर्रा/36	235/1 sc	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			235/2	0.50
			235/4	0.29
			235/3 se	0.20
			235/5 se	0.60
			235/6	0.50
		योग	06	2.14

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2006

क्रमांक 16/अ-82/05-06.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जिला बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 16/अ-82/2005-06 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर, परियोजना के लिये जल परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोग के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26-5-2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	खांडा/35	346/7	0.40
		योग	01	0.40

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर, (मंडी शाखा) जांजगीर-चांपा, छ. ग.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक/9019/मंडी-निर्वा./06.—जांजगीर-चांपा जिले में स्थित मंडी समितियों के निर्वाचन पश्चात् मण्डी अधिनियम की धारा 11 (1) के अंतर्गत मण्डी समितियों में, जनप्रतिनिधि, कृषि विभाग, अध्यक्ष मण्डी समिति, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला भूमि विकास बैंक तथा जिला पंचायत द्वारा नामांकित सदस्यों को मण्डी समितियों में सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है. नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों का नाम मण्डी समितिवार निम्नानुसार है.

1. **खण्ड (घ) लोकसभा राज्यसभा तथा विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा नामांकित प्रतिनिधि-**

क्र.	कृषि उपज मंडी समिति का नाम	नामांकित सदस्य का नाम	नाम-निर्देशनकर्ता माननीय सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकलतरा	श्री रतन अग्रवाल, आ. अच्छू लाल अग्रवाल, डगरा पारा मु. पो. अकलतरा.	मान. श्री रामाधार कश्यप, सदस्य राज्यसभा.
2.	सक्ती	श्री ओमप्रकाश, आ. काशीराम अग्रवाल, मु. पो. सक्ती.	मान. श्री मेघाराम साहू, मंत्री, छ. ग. शासन स्कूल शिक्षा, खेल, युवक कल्याण विभाग सदस्य सक्ती विधान सभा क्षेत्र.
3.	आमनदुला	श्री साधुदास वैष्णव आ. जयराम दास, मु. पो. बीरभाठा तह. मालखरौदा.	मान. श्री गुहाराम अजगले, सदस्य लोकसभा सारंगढ़ क्षेत्र.

2. **खण्ड (ङ) सहकारी विपणन सोसायटी द्वारा नामांकित सदस्य-**

उप पंजीयक सहकारी समितियां जांजगीर-चांपा द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में जिले की सभी सहकारी विपणन संस्थाओं की प्रबंधकारिणी समितियां भंग है.

3. **खण्ड (च) कृषि विभाग (उप संचालक, कृषि जांजगीर-चाम्पा) द्वारा नामांकित सदस्य-**

क्र.	कृषि उपज मंडी समिति का नाम	नामांकित सदस्य का नाम/पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	नैला - जांजगीर	श्री सी. एन. सिंह, उप संचालक, कृषि जांजगीर-चाम्पा
2.	अकलतरा	श्री आर. एस. राजपूत, सहा. परि. अधि., अकलतरा
3.	चाम्पा	श्री जगदम्बा राय, सहा. परि. अधि., चाम्पा
4.	सक्ती	श्री मनोज कुमार अग्रवाल, सहा. परि. अधि., सक्ती
5.	आमनदुला	श्री के. के. पोर्ते, सहा. परि. अधि., मालखरौदा
6.	जैंजैपुर	श्री आर. एन. गांगे, सहा. परि. अधि., जैजैपुर

4. **खण्ड (छ) मंडी अध्यक्षों द्वारा नामांकित तुलईया/हमालों के प्रतिनिधि-**

क्र.	कृषि उपज मंडी समिति का नाम	तुलईया/हमाल प्रतिनिधि का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	अकलतरा	श्री घुनाराम केंवट आ. चैतूराम मु. पो. अकलतरा
2.	सक्ती	श्री रामाधार पटेल, आ. तांतीराम मु. पो. सोंठी तह. सक्ती

जिले की कृषि उपज मंडी समिति नैला-जांजगीर, चाम्पा, आमनदुला एवं जैजैपुर से जानकारी अप्राप्त.

5. **खण्ड (ज) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक जांजगीर-चांपा-जानकारी अप्राप्त है.**

6. **खण्ड (झ) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. जांजगीर-चाम्पा द्वारा नामांकित सदस्य-**

सभी कृषि उपज मंडी समितियों में बैंक के प्रतिनिधि - उप-संचालक, कृषि जांजगीर-चाम्पा (बैंक की प्रबंध समिति के सदस्य)

7. **खण्ड (ञ) अध्यक्ष, जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि**

क्र.	कृषि उपज मंडी समिति का नाम	नामांकित सदस्य का नाम/पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	नैला-जांजगीर	श्रीमती कमलादेवी पाटले, अध्यक्ष जिला पंचायत
2.	अकलतरा	श्री अम्बेश जांगड़े, सदस्य जिला पंचायत
3.	चाम्पा	श्री भैयालाल जायसवाल, सदस्य जिला पंचायत
4.	सक्ती	डॉ. खिलावन साहू, सदस्य जनपद पंचायत सक्ती
5.	जैजैपुर	श्री नरसिंह सिन्हा, सदस्य जिला पंचायत
6.	आमनदुला	सुश्री नैन अजगल्ले, सदस्य जिला पंचायत

बी. एल. तिवारी,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)